

आमंत्रण-पत्र

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018

261/आ.178

दिनांक 27 फरवरी 19

प्रेषक,

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,
दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थान।

विषय :-

दिनांक-06.03.2019 को राज्य आयुक्त निःशक्तता की अध्यक्षता में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन की व्यावहारिक कठिनाइयों से सम्बन्धित कार्यशाला के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने तथा दिव्यांगों के बीच जागरूकता, उन्मुखीकरण एवं क्षमता विकास के लिए दिनांक-06.03.2019 को पूर्वा० 11:30 बजे से अप० 01:30 बजे तक राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यशाला के दौरान विशेषकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन की व्यावहारिक कठिनाइयों के विषय में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के साथ संवाद किये जाने एवं उनके हल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त कार्यशाला का आयोजन पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर स्थित राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय कक्ष में किया जाना है। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों के पदाधिकारी (अध्यक्ष/सचिव) से अनुरोध है कि दिव्यांगजनों से सम्बन्धित उक्त जागरूकता कार्यशाला में सम्मिलित होकर इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी होने की कृपा करें।

कार्यशाला आयोजन की तिथि - 06.03.2019
समय - पूर्वा० 11:30 बजे से अप० 01:30 बजे तक
कार्यशाला स्थल - पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन
परिसर स्थित राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय कक्ष

विश्वासभाजन

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018

261/आ.178

दिनांक 27 फरवरी 19

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ

प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018

261/आ.178

दिनांक 27 फरवरी 19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।